संख्या-6/2019/1122/96-आयुष-1-2019-487/2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 27 फरवरी, 2019**

विषय- राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मेहनगर, आजमगढ़ के चिकित्सालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6698/यू0नि0/योजना/2018-19; दिनांक 11.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-9/2018/1331/96-आयुष-1-2018-487/2016, दिनांक 29.03.2018 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-17.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-16.50 लाख अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-17.64 लाख के सापेक्ष द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0-1.14 लाख (रूपया एक लाख चौदह हजार मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

(2) निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डाक घर खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(9) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **02**-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, **110**-अस्पताल तथा औषधालय, **05**-राजकीय यूनानी चिकित्सालय, 01-अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य के मानक मद **24**-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

लक्ष्मण सिंह
अनु सचिव।

संख्या-6/2019/1122(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

लक्ष्मण सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।